

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021—कार्तिक 7, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

सूचना

क्र. एफ-2-2-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, संहिता की उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिये, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

इन नियमों में,—

- (1) प्रारूप चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्रारूप चार

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

भू-अधिकार पुस्तिका

भूमिस्वामी समग्र आईडी क्रमांक:

भूमिस्वामी का नाम:

माता/पिता/पति का नाम :

ग्राम/नगर का नाम:

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक:

तहसील:

जिला:

मुद्रा

भूमिस्वामी का फोटो

सक्षम प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम एवं मुद्रा”.

- (2) अनुसूची—चार में, सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“8. भू-अधिकार पुस्तिका 30.00 15.00”.

- (3) अनुसूची—पाँच में, सरल क्रमांक 18 का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2021

क्र. एफ.-2-2-2020-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ.-2-2-2020-सात-शा.-7, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 27th October 2021

NOTICE

F. 2-2-2020-VII-SEC 7.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajswa Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 256 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) is hereby published as required by sub-section (3) of the said section of the Code for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Bhopal.

DRAFT OF AMENDMENT

In these rules,—

(1) for Form-IV, the following Form shall be substituted, namely:—

“FORM IV

(See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajswa Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam, 2020

Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Computerized Land Records

Bhu-Adhikar Pustika

Bhumiswami Samagra ID Number :

Name of the Bhumiswami :

Mother's/Father's/Husband's name:

Name of Village/Town :

patwari Halka Number/Sector Number :

Tahsil :

District :

Seal



**Digital Signature of Competent Authority
Name and Seal of Office”**

(2) in Schedule-IV, after serial No. 7, the following serial shall be added, namely:—

“8. Bhu-Adhikar Pustika 30.00 15.00”.

(3) in Schedule-V serial No. 18 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्रमांक एफ 2-13/2021/सात-7
प्रति

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

जिला कलेक्टर (खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, अलीराजपुर, देवास, सतना जिलों को छोड़कर)
मध्यप्रदेश।

विषय: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा निर्देश। (मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के भाग-चार 'आबादी' के नियम 12 के उपनियम (5) के अंतर्गत)

प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप में लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 'आबादी क्षेत्र' की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारम्भ की जा रही है।

2/ आबादी से आशय – मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में आबादी की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार "आबादी" से अभिप्रेत है "किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषांगिक प्रयोजन के लिए, समय-समय पर, आरक्षित क्षेत्र और इस अभिव्यक्ति के किसी अन्य सजातीय रूप में जैसे 'ग्राम स्थल' या 'गांव स्थान' का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा।" यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 'ग्राम' ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, अतः आबादी क्षेत्र सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है।

3/ आबादी भूमि की उपलब्धता – (1) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्रामीणों के आवासीय प्रयोजन हेतु 'आबादी' रक्षित की गई है। कालांतर में जनसंख्या वृद्धि के कारण यह रक्षित आबादी क्षेत्र आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होने पर संहिता की धारा 243 की उपधारा (1) तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के भाग-चार आबादी के नियम-10 के प्रावधान ग्राम में उपलब्ध दखलरहित भूमि को चिन्हांकित कर आबादी के रूप में रक्षित करने के लिए जिला कलेक्टर को सशक्त करते हैं।

(2) उपरोक्त प्रावधानों का उपयोग करते हुए, संहिता की धारा 237 के अध्याधीन रहते हुए कलेक्टर आवश्यकतानुसार आबादी घोषित कर सकते हैं। यदि जिला कलेक्टर आबादी के लिये आरक्षित क्षेत्र को अपर्याप्त पाते हैं और दखलरहित भूमि में कोई उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है तो आबादी के विस्तारण के लिये संहिता की धारा 243 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 नियमों के नियम-11 के प्रावधान अनुसार कोई निजी भूमि अर्जित कर सकते हैं। संहिता की धारा 244 के अंतर्गत तथा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्याधीन रहते हुए तहसीलदार द्वारा आबादी स्थलों के भू-खण्डों का भूमिस्वामी अधिकारों में आवंटन किया जा सकता है।

4/ आबादी में स्थल का निर्वर्तन - तहसीलदार, ग्राम में आबादी के लिये आरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त क्षेत्र में, ग्राम की दखलरहित भूमि में जिला कलेक्टर द्वारा रक्षित किया गया अतिरिक्त आबादी क्षेत्र में या आबादी के लिये धारा 243 के अधीन अर्जित किए गये क्षेत्र में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के भाग-चार आबादी के नियम- 12 के उप नियम (2) एवं (3) के अनुसार ऐसे कुल आबादी क्षेत्र में गृह स्थलों के लिये उपलब्ध भूमि का अभिन्यास (ले-आउट) तैयार करायेगा, जिसके अंतर्गत आवंटन हेतु भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा। अभिन्यास (ले-आउट) उप नियम (4) के अनुसार धारा 107 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन तैयार किए गये आबादी के नक्शे में दिखाया जायेगा तथा भू-खण्डों के ब्यौरे धारा 107 के अधीन विरचित नियमों के अधीन विहित किए गये रजिस्टर में दिखाये जायेंगे।

5/ परिवार की परिभाषा - इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए परिवार से अभिप्रेत है पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री।

6/ भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्रदाय करने के लिये प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

(एक) आवेदन करने के लिये निम्नलिखित आवेदक पात्र नहीं होंगे :-

(क) आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप में रहने के लिये आवास है।

(ख) आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है।

(ग) आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है।

(घ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है।

(ङ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शामकीय सेवा में है।

(च) आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, दिनांक 01 जनवरी, 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

स्पष्टीकरण.- आवेदन करने के लिये वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों तथा परिपत्र की कण्डिका 6 (एक) अनुसार अनर्हतायें नहीं रखते हों।

(दो) (क) आवेदक द्वारा इस परिपत्र के अंतर्गत आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्ररूप-क में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु ऑनलाइन SAARA एप पर प्रेषित किया जायेगा।

(ग) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन प्ररूप-ख में तैयार किया जाएगा।

(घ) तहसीलदार को उक्त प्रतिवेदन ऑनलाइन SAARA एप के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

- (तीन) (क) तहसीलदार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्राम वार सूची तैयार करने के उपरांत प्रकरण ग्रामवार अ-66 मद में दर्ज किया जायेगा।
- (ख) प्राप्त आवेदन पत्रों का SAARA पोर्टल में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- (ग) पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम वार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी जिसकी समयावधि 10 दिवस से कम की नहीं होगी। सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चम्पा की जायेगी।
- (घ) तहसीलदार, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव यदि कोई हों, का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
- (ङ.) तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची संबंधित ग्राम सभा के अभिमत के लिये प्रेषित करेगा।
- (च) तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची पर ग्राम सभा का अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत् परीक्षण कर पात्र आवेदको को भू-खण्ड आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
- 7/ (क) रक्षित आबादी क्षेत्र में पूर्व में निर्मित भवनों के अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। तहसीलदार द्वारा ऐसे आबादी क्षेत्रों में यदि खुली भूमि हो तो इस परिपत्र की कड़िका 4 अनुसार ले-आउट तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी तथा पात्र आवेदकों को पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम से उपलब्धता के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्ररूप-ग में प्रदाय किये जायेंगे।
- (ख) रक्षित आबादी क्षेत्र पर्याप्त नहीं होने पर तहसीलदार द्वारा नवीन आबादी क्षेत्रों के लिये भूमि चिन्हांकित कर जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा। जिला कलेक्टर द्वारा कण्डिका 3 अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार अंकित नवीन आबादी क्षेत्रों में तहसीलदार द्वारा कण्डिका 4 अनुसार ले-आउट तैयार कराने की कार्यवाही की जायेगी तथा पात्र परिवारों को भू-स्वामी अधिकार पत्र प्ररूप-ग में प्रदाय किये जायेंगे।
- 8/ भू-खण्ड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम देय नहीं होगा।
- 9/ प्रत्येक आवंटित भू-खण्ड के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत उक्त नियमों की अनुसूची एक के अनुसरण में आवंटित भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल पर 0.50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भू-राजस्व निर्धारित किया जायेगा, परन्तु अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शाखा-6 अधिसूचना दिनांक 7 मितम्बर 2018 के अनुसार संहिता की धारा 59 के अधीन ग्राम में 200 वर्ग मीटर से अनाधिक की भूमि जो आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जाती है के संबंध में कोई भू-राजस्व देय नहीं होगा।
- 10/ आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की उपरोक्तानुसार ऑनलाइन व्यवस्था की मॉनिटरिंग एवं कार्य की प्रगति की ममीक्षा कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

प्ररूप-क

ग्राम..... की आबादी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन

आवेदन क्रमांक.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

1. आबादी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु नियत स्थल:-

जिला		तहसील	
पटवारी हल्का		ग्राम का नाम	

2. (i) आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी:-

1	आधार नंबर	
2	समग्र आईडी	
3	आवेदक का नाम (प्रथम, मध्य एवं अंतिम)	
4	आवेदक के पिता का नाम	
5	आवेदक की जन्म दिनांक	
6	लिंग	
7	जाति	
8	वर्तमान निवास स्थल का पता	
9	मोबाईल नंबर (अगर कोई है)	
10	ई-मेल (अगर कोई है)	

2. (ii) (1) क्या जीवित पत्नि/पति है या नहीं

हाँ/नहीं

अगर हाँ तो निम्न जानकारी भरे

1	आधार नंबर	
2	समग्र आईडी	
3	पत्नि/पति का नाम (प्रथम, मध्य एवं अंतिम)	
4	जन्म दिनांक	
5	मोबाईल नंबर (अगर कोई है)	
6	ई-मेल (अगर कोई है)	

2. (ii) (2) आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं

हाँ/नहीं

2. (ii) (3) क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभांविता लाडली लक्ष्मी है अथवा नहीं, यदि है तो लाडली लक्ष्मी का विवरण

3. आवेदक के परिवार * का विवरण (उपरोक्त पति/पत्नि को छोड़कर) :-

क्रमांक	परिवार में सदस्यों का नाम	आवेदक से संबंध	समग्र आईडी	आधार नंबर
1.				
2.				
3.				

4. (I) क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास है:- हों (), नहीं ()

(II) क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है:- हों (), नहीं ()

(III) क्या आवेदक परिवार पी.डी.एस. दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है हों (), नहीं ()

(IV) क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है:- हों (), नहीं ()

(V) क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शामकीय सेवा में है:- हों (), नहीं ()

(VI) क्या आवेदक का नाम 01 जनवरी 2021 की मनदाता सूची में दर्ज है:- हों (), नहीं ()

5. अन्य कोई विवरण:-

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उरोक्त सगल क्रमांक 1 से 5 तक के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारियां सही एवं प्रमाणिक हैं, यदि कोई जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो राज्य शासन मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

प्ररूप-ख

(मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का परिपत्र क्र. एफ 2-13/2021/सात-7 दिनांकदेखिये कंडिका 6)

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा निर्देश कंडिका 6 के अंतर्गत प्रतिवेदन

कार्यालय पटवारी हल्का तहसील जिला

आवेदक श्री पिता/पति श्री द्वारा ग्राम में

भू-खण्ड आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन क्रमांक दिनांक का जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

1	आवेदक का ममग्र आईडी एवं कैमिली आईडी		
2	आवेदक का नाम (प्रथम, मध्य एवं अंतिम)		
3	आवेदक की आयु		
4	आवेदक के माता पिता/पति का नाम/		
5	वर्तमान निवास स्थल का पता		
6	मोबाईल नम्बर (यदि कोई है)		
7	ई-मेल (यदि कोई है)		
8	आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों का विवरण		
	(I) क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप में रहने के लिये आवास है:- यदि नहीं तो वर्तमान आवास में निवास करने वाले अन्य परिवार संख्या, उनके सदस्य एवं वर्तमान आवास का क्षेत्रफल	हाँ ()	नहीं ()
	(II) क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है:-	हाँ ()	नहीं ()
	(III) क्या आवेदक परिवार पी.डी.एम. दुकान में राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता धारित करता है	हाँ ()	नहीं ()
	(IV) क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है:-	हाँ ()	नहीं ()
	(V) क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य शायकीय सेवा में है:-	हाँ ()	नहीं ()
	(VI) क्या आवेदक का नाम 01 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है:-	हाँ ()	नहीं ()
		यदि हाँ तो मतदाता सूची का उल्लेख करें।	
9	पात्रता, अपात्रता का विवरण	पात्र	अपात्र

अपात्रता का कारण :-

हस्ताक्षर		हस्ताक्षर
पटवारी		सचिव
नाम		नाम

प्ररूप-ग

(मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग का परिपत्र क्र. एफ 2-13/2021/सात-7 दिनांक देखिये कंडिका 7)

न्यायालय तहसीलदार..... तहसील..... जिला..... मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक.....

भूमिस्वामी अधिकार पत्र

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... माता/पिता..... एवं श्रीमति..... पति ममग्र आईडी क्रमांक..... को ग्राम का नाम..... तहसील..... जिला..... को ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक..... तहसील..... में स्थित नीचे लिखे भू-खण्ड में भूमि-स्वामी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

यह स्थल उसके द्वारा तथा उसके उत्तराधिकारियों एवं स्वत्व अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) के उपबंधों के अधीन धारण किया जायेगा।

अनुसूची-1	
भूखण्ड की चतुरसीमा	लम्बाईचौड़ाई/
पूर्व में	
पश्चिम में.....	
उत्तर में.....	
दक्षिण में.....	

अनुसूची-2	
मद	विवरण
ब्लॉक संख्या प्लॉट संख्या ----- क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	

भू-खण्ड आवंटन की शर्तें

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 के नियम 12 के उपनियम (6) अनुसार)

- (क) भू-खण्ड का निर्माण युक्त क्षेत्रफल किसी भी मामले में भू-खण्ड के तीन चौथाई क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा ;
- (ख) योजना इस प्रकार रेखित की जाएगी और भवन इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे जिससे सड़क के किनारे से 3 मीटर से अन्यून स्थान खुला छूट जाए:

परंतु वह खुला स्थान ऐसे छज्जे से छाया जा सकता है जो दीवारों से घिरा न हो ;

- (ग) भू-खण्डों का उम पर केवल निवास गृह के निर्माण के प्रयोजन और उससे आनुषंगिक प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जाएगा तथा भू-खण्ड या उसके किसी भाग का किसी भी अन्य प्रयोजन, वह जो भी हो, के लिए नहीं किया जाएगा;

- (घ) भू-खण्ड धारक, भू-खण्ड पर निर्मित भवन को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखेगा;

- (ङ) भू-खण्ड धारक भू-खण्ड को और उम पर निर्मित भवन को अच्छी स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखेगा; और

(च) किसी भू-खण्ड धारक द्वारा इन शर्तों में से किसी को भी भंग किए जाने की दशा में, वह निष्कासित किए जाने का दायी होगा।

दिनांक

मुद्रा

स्थान

तहसीलदार

नाम.....

पदनाम.....

तहसील.....

जिला.....

अन्तिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2021

फा. क्र. 3919-इक्कीस-ब(एक)-2021.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (1) में, तीसरे परन्तुक में, शब्द और अंक “और 60 वर्ष से कम आयु है,” विलोपित किए जाएं.”

F. No. 3919-XXI-B (One) 2021.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Family Court Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), in third proviso the words and figures “and is below 60 years of age” shall be deleted.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव